

विश्वभारती
कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने सीवीसी सतर्कता नियमावली के पैरा 2.8.1 के संदर्भ में दिनांक 29/07/2025 से विश्वविद्यालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी, प्रो. शांतनु रक्षित, ग्रामीण अध्ययन विभाग, पल्ली चर्चा केंद्र का कार्यकाल अगले तीन माह हेतु बढ़ा दिया गया है।

प्रो. शांतनु रक्षित से अनुरोध है कि वे 29/07/2025 से अगले तीन माह हेतु विश्वविद्यालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में अपना कार्य जारी रखें।

ज्ञापन सं. संख्या स्था/ई-III/सतर्कता
दिनांक: 13.10.2025

हस्ता/-
कुलसचिव
विश्वभारती

सेवा में,

1. प्रो. शांतनु रक्षित, ग्रामीण अध्ययन विभाग, पल्ली चर्चा केंद्र

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. सुश्री जेनिफर टिके, अवर सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, सतर्कता अनुभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2. सभी निदेशक/सभी प्रिंसिपल
3. सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक विभागों/केंद्रों/अनुभागों के प्रधान
4. वित्त अधिकारी
5. पुस्तकाध्यक्ष
6. सभी संयुक्त कुलसचिव/ उप कुलसचिव/आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी/सहायक कुलसचिव
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/विश्वविद्यालय अभियंता
8. संयुक्त कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
9. उप कुलसचिव (स्थापना)
10. प्रभारी, सुरक्षा
11. सहायक कुलसचिव (बैठक) – ई.सी. के समक्ष संपुष्टि हेतु
12. कुलसचिव के निजी सहायक
13. विश्वविद्यालय वेब मास्टर- विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. हिंदी अधिकारी- हिंदी में अनुवाद कर वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
15. व्यक्तिगत फाइल